



170
46

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांक F15() / रालसा / डीएसएडीआर / नालसास्कीम / 2017 / 20989-21060 दिनांक 18-09-17

प्रेषिति-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय।
5. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. पुलिस कमिश्नर, जयपुर महानगर/जोधपुर महानगर।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त राजस्थान।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, यातायात विभाग, समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त, राज्य परिवहन विभाग।
12. जिला परिवहन अधिकारी, समस्त राजस्थान।
13. उप सचिव (मान्यता), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय- बच्चों के कल्याण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु।

संदर्भ-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य W.P.(Civil) 13029 of 1985 आदेश दिनांक 16.12.1997 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी स्कीम नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएँ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएँ) स्कीम 2015
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी परिपत्र संख्या CBSE/AFF/ Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017

18/9/17

57208/123/17
20.09.17
wrsent
9
20 SEP 2017
SS/URS
Bimalka
Kamal Bohan



177

47

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)


(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ri-sisa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

अतः निर्देशानुसार यह लेख है कि उक्त सभी दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा समय-समय पर इसका निरीक्षण वास्तविक रूप से किया जाए, ताकि हमारे देश के बालक सुरक्षित रूप से घर से विद्यालय आ-जा सकें।

आदर सहित,

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,



(एस.के.जैन)

सदस्य सचिव

(ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश)



178

48

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rjslsaip@gmail.com, Website: www.rlsa.gov.in)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एव संदर्भित निर्णय, स्कीम एवं दिशा-निर्देशों के क्रम में लेख है कि बालक हमारे देश का भविष्य है और शिक्षा अर्जन हेतु वे अपने घर से विद्यालय आने-जाने हेतु बस, मिनी बस, वैन, ऑटो एवं रिक्शा आदि बाल-वाहनियों का उपयोग करते हैं।

बालक बाल-वाहनियों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा कर सके, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से विभिन्न आदेश जारी कर रखे हैं और उन आदेशों की पालना में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा भी कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, किन्तु इसके बावजूद भी विभागीय उदासीनता के कारण इन आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन यथावत रूप से नहीं हो रहा है।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् के. एस. झवेरी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि विषय मानते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि-

1. जो भी वाहन (बस, मिनी बस, वैन, ऑटो एवं रिक्शा) बाल-वाहिनी के रूप में उपयोग में लाया जाए, वह वाहन पीले रंग से रंगा हुआ हो, ताकि दूर से ही देखकर यह पहचाना जा सके कि वह वाहन बाल-वाहिनी के रूप में उपयोग में आ रहा है।
2. बाल-वाहिनी के उपर स्पष्ट रूप से यह अंकित हो कि वह वाहन बाल-वाहिनी के रूप में परिवहन कर रहा है, यथा बाल-वाहिनी पर "On School Duty" अंकित किया जा सकता है।

6/5/18/17



129

50

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ri-slsa@nic.in, rlsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

3. बाल-वाहिनी के पीछे वाले हिस्से पर संबंधित विद्यालय का नाम, दूरभाष नम्बर, पता एवं वाहन चालक तथा परिचालक का नाम अंकित होना चाहिए।
4. बस बाल-वाहिनी पर Horizontal रूप से लोहे का पाईप लगा हुआ होना चाहिए तथा ऑटो/वैन/मैजिक में दरवाजों पर गेट पर लॉक होना चाहिए तथा ऑटो के ड्राइवर वाली साईड व पीछे ऐसी ग्रिल होनी चाहिए जिससे कोई बालक गिर ना सके।
5. बस बाल-वाहिनी पर गेट होना चाहिए और जब वह बस सड़क पर संचालित हो तो उसका गेट आवश्यक रूप से बंद होना चाहिए।
6. बाल-वाहिनी की स्पीड अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए।
7. बस/मिनी बस/वैन बाल-वाहिनी में अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से लगा हुआ होना चाहिए।
8. जो बाल-वाहिनी स्कूल प्रबंधन के द्वारा संचालित की जा रही है, उनमें आवश्यक रूप से जी पी एस (GPS) लगा हुआ होकर चालू स्थिति में हो।
9. बाल-वाहिनी में प्रथम चिकित्सा बॉक्स एवं पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. बाल-वाहिनी की खिड़कियों के शीशों पर किसी भी प्रकार की कोई फिल्म चढ़ी हुई नहीं हो, जिसके फलस्वरूप सड़क से ही बाल-वाहिनी के अंदर की स्थिति दिख सके।
11. बाल-वाहिनी के भीतर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, ताकि अंधेरे में उसका उपयोग किया जा सके।

(Handwritten signature)



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

12. विशेष योग्यजन बालकों के चढ़ने-उतरने के लिए समुचित व्यवस्था हो तथा बाल-वाहिनी में उनके बैठने के लिए एक निश्चित स्थान आरक्षित किया जाए।

13. जो भी बाल-वाहिनी चाहे वो स्कूल प्रबंध के द्वारा संचालित की जा रही हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने स्तर पर संचालित की जा रही हो, उसके वाहन चालक तथा परिचालक का नाम, मोबाईल नम्बर तथा लाईसेन्स की प्रति स्कूल प्रबंधन, यातायात पुलिस, संबंधित पुलिस थाने तथा परिवहन विभाग के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

14. सड़क पर बाल-वाहिनी के संचालन हेतु वाहन चालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि—

- चालक के पास भारी वाहन चलाने का 05 वर्षीय अनुभव हो।
- यदि चालक के विरुद्ध लाल बत्ती को क्रॉस करने के संबंध में/गलत जगह पर पार्किंग के संबंध में/स्टॉप लाईन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाने की लेन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाते समय ओवरटेक करने के लिए या अप्राधिकृत व्यक्ति को चलाने के संबंध में दो से अधिक बार कोई चालान एक ही साल में पेश हो चुका है तो उसे चालक के रूप में बाल-वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।
- यदि किसी चालक के विरुद्ध तेज गति से वाहन चलाने/नशे में वाहन चलाने/उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने या अन्तर्गत धारा 279, 336, 337, 338 व 304ए, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, के तहत एक बार चालान पेश हो चुका है या आरोप लग चुका है तो



51

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 1510C, E-mail: ri-slsa@nic.in, rslsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

ऐसी स्थिति में उसे चालक के रूप में बाल-वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।

15. यह स्कूल प्रशासन एवं पुलिस विभाग/परिवहन विभाग/यातायात विभाग का कठोर दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बाल-वाहिनी में एक परिचालक आवश्यक रूप से हो।

16. यह प्रत्येक स्कूल प्रशासन का दायित्व है कि वह प्रत्येक बाल-वाहिनी चाहे वो स्कूल प्रशासन के द्वारा संचालित की जा रही हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस बाल-वाहिनी से बच्चों को उतरने व चढ़ने के लिए अपने विद्यालय परिसर में एक निश्चित स्थान प्रदान करें तथा किसी भी स्थिति में बच्चों को बाल-वाहिनी में उतरने व चढ़ने के लिए सड़क पर ही न छोड़ा जाए।

17. किसी भी बाल-वाहिनी का सड़क पर परिचालन तभी होगा जब उस वाहन को बाल-वाहिनी के रूप में परिवहन विभाग के समक्ष पंजीकृत करवा लिया गया हो।

18. पुलिस विभाग/परिवहन विभाग/यातायात विभाग का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बाल-वाहिनी का चालक उसको सड़क पर द्वितीय या तृतीय लेन में निर्धारित गति से एवं बिना मोबाईल बातचीत के, बिना म्यूजिक संचालन के एवं बिना धुम्रपान सेवन के चलाए।

19. बाल-वाहिनी की फिटनेस का एवं चालक का मेडिकल परीक्षण निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए।

20. किसी भी बाल वाहिनी में उसकी सीट क्षमता से 1.5 गुना अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाए, किन्तु यदि 12 वर्ष से अधिक आयु का बालक है तो उसकी गणना एक पूरी सीट के लिए की जाए।

635-189/17